से पत्रावली दिनांक 20.9.21 को पेश हो।

20.9.21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 22-9-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

22.9.21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, वकील प्रार्थी ने अपनी मौखिक बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 333, 329 भूमि ग्राम लुहारिया परवार हल्का लुहारिया भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारिया तहसील माण्डल मे स्थित है। उक्त भूमि मे काश्त करने हेतु आने जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने एंव फसल काश्त करने एंव अवेरने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 328 मे से 16 फीट चौड़ाई का रास्ता उत्तरी पूर्वी दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की।

जब कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 के अधिवक्ता ने अपने जवाव के आधार पर एंव लिखित बहस अप्रार्थीगण 1, 2, 3, 5, 6 व 7 के आधार पर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की ईस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एंव तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का अध्ययन किया एंव मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत:

: : आदेश : :

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजियात ग्राम लुहारिया परवार हल्का लुहारिया भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारिया तहसील मांडल मे स्थित आराजी नम्बर 333,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... हुक्म ... में

329 भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड
मे दर्ज नही है। एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध
नही है। उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण
की आराजी नम्बर 328 की उत्तरी दिशा व पूर्वी दिशा
की मेड के सहारे-सहारे 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिये
जाने का आदेश दिया जाता है। 12 फीट चौड़ाई के रस्ते
मे काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल
राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण
01 लगायत 07 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण 01 लगायत
07 की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि राजस्व रेकार्ड
मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम करे। निर्णय की
पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे। तहसीलदार
माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा